## **Press Note**

The Andaman & Nicobar Administration has assigned the task of preparing the Island Coastal Regulation Zone (ICRZ) Plan for Little Nicobar Island to the National Centre for Sustainable Coastal Management (NCSCM), Chennai, in accordance with the Island Coastal Regulation Zone (ICRZ) Notification, 2019.

NCSCM has submitted the draft ICRZ Report, ICRZ Map and Coastal Land Use Map for Little Nicobar Island for further process as per the provisions of ICRZ Notification, 2019.

The ICRZ report and maps are now available on the websites of the A&N Administration (https://andaman.gov.in/) and the Department of Environment & Forest, A&N Administration (http://forest.and.nic.in/).

Soft copies of draft ICRZ report and maps are made available in various offices, including the Chairman's Office, ANCZMA (Chief Secretary, A&N Administration), Member Secretary's Office, ANCZMA [APCCF (CRZ&FC)], Van Sadan, Haddo, Deputy Commissioner (Nicobar), Assistant Commissioner (Nancowry), Divisional Forest Officer (Nicobar Division), Member Secretary (Pollution Control Committee), Director (Tribal Welfare), Director (Tourism), Tribal Council (Little Nicobar) for public review and submission of claims, objections, and suggestions.

In this regard, concerned stakeholders are requested to submit their comments, suggestions, and details of existing or proposed projects, along with master plans for present and future development within a 10-year timeframe, if any, within 30 days from the date of this press release to the office of APCCF (CRZ&FC), Van Sadan, Haddo, Sri Vijaya Puram, or via email at apccf-crzfc.an@and.nic.in or apccf.crzfc@gmail.com.

When submitting suggestions and comments, the stakeholders may please refer to the provisions of the ICRZ Notification, 2019, available on the websites mentioned above.

> nber Secretary, A&N CZMA Van Sadan, Sri Vijaya Puram F No. APCCF/EPA/344/Aittle Nicobar/Vol-I/640
> Dated: // Nov, 2024

अंडमान तथा निकोब्रार प्रशासन ने द्वीप तटीय विनियम क्षेत्र (ICRZ) अधिसूचना, 2019 के अनुसार, लिटिल निकोबार द्वीप के लिए द्वीप तटीय विनियम क्षेत्र (आई.सी.आर.जैड) (ICRZ) योजना तैयार करने का काम राष्ट्रीय सतत तटीय प्रबंधन केंद्र (एनसीएससीएम), चेन्नई को सौंपा है।

एनसीएससीएम ने 'लिटिलं निकोबार द्वीप के लिए द्वीप तटीय विनियम क्षेत्र (ICRZ) रिर्पोट व मानचित्र, तटीय भूमि उपयोगं मानचित्र, तटीय विनियम क्षेत्र (ICRZ) अधिसूचना, 2019 के अनुसार आगे की प्रक्रिया के लिए प्रस्तुत किया है।

ये आई.सी.आर.जैर्ड रिर्पोट व मानचित्र, अब अंडमान तथा निकोबार प्रशासन (http://andaman.gov.in/) और पर्यावरण एवं वन विभाग, अंडमान तथा निकोबार प्रशासन (http://forest.and.nic.in/) की वेबसाइटों पर भी उपलब्ध हैं।

सार्वजनिक समीक्षा, दावे, आपितयाँ और सुझाव प्रस्तुत करने के लिए सॉफ्ट कॉपी विभिन्न कार्यालयों में उपलब्ध कराई जाती हैं, जिनमें अध्यक्ष कार्यालय, एएनसीजेडएमए (मुख्य सचिव, अंडमान तथा निकोबार प्रशासन), सदस्य, सचिव का कार्यालय, एएनसीजेडएमए [एपीसीसीएफ (सीआरजेड एंड एफसी)] वन सदन, हेडो, उपायुक्त (निकोबार), सहायक आयुक्त(ननकौरी), प्रभागीय वन अधिकारी (निकोबार), ट्राइबल कॉसिल (लिटिल निकोबार), सदस्य सचिव (प्रदूषण नियंत्रण समिति), निदेशक (आदिवासी कल्याण), निदेशक (पर्यटन), के कार्यालय शामिल हैं।

इस संबंध में, संबंधित हितधारकों से अनुरोध है कि वे अपनी टिप्पणियाँ, सुझाव और मौजूदा या प्रस्तावित परियोजनाओं को विवरण, साथ ही 10 साल की समय सीमा के भीतर वर्तमान और भविष्य के विकास के लिए मास्टर प्लान, यदि कोई हो, प्रेस विज्ञप्ति के जारी होने की तारीख से 30 दिनों के भीतर एपीसीसीएफ (सीआरजेड एंड, एफसी), वन सदन, हैडो, श्री विजय पुरम के कार्यालय में या apccf-crzfc.an@and.nic.in or apccf.crzfc@'amail.com पर ईमेल के माध्यम से प्रस्तुत करें।

सुझाव और दिंप्पणियाँ प्रस्तुत करते समय, हितधारक कृपया ऊपर उल्लेखित वेबसाइटों पर उपलब्ध आईसीआरजेड अधिसूचना, 2019 के प्रावधानों को देख सकते हैं।

सदस्य सचिव, अंडमें तथा निकोबार सीजेडएमए

जून सदन, श्री विजय पुरम F.No.APCCF/EPA/346/Little Nicobar/Vol-I/ **6 ५**०

Dated: // Nov, 2024